न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम : मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 3/2022
दायर दिनांक : 09.02.2022
निर्णय दिनांक : 02.07.2025

1. पार्वती पुत्री गंगाधर पत्नी रामजीलाल जाति मीना, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा हाल निवासी आदर्श मीना कॉलोनी सैंथल मोड दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. तहसीलदार दौसा
3. अमरपाल पुत्र स्व. बिहारीलाल जाति मीना, निवासी छतरीवाली ढाणी तहसील दौसा जिला दौसा
4. रामप्रताप उर्फ बाबूलाल पुत्र स्व. बिहारीलाल जाति मीना, निवासी छतरीवाली ढाणी तहसील दौसा जिला दौसा
5. रामराज पुत्र स्व. बिहारीलाल जाति मीना, निवासी छतरीवाली ढाणी तहसील दौसा जिला दौसा
6. भोलीदेवी पत्नी स्व. बिहारीलाल जाति मीना, निवासी छतरीवाली ढाणी तहसील दौसा जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

उपखण्ड अधिकारी मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दौसा खुर्द तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 268 रकबा 1.00 है. भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है तथा मौके पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होता आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास ही अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 की खातेदारी भूमि स्थित है, जो कि प्रार्थी से प्रार्थी की खातेदारी भूमि के संबंध में सीमा विवाद करते हैं। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि का दिनांक 03.11.2021 को सीमाज्ञान भी किया जा चुका है। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 से विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना है क्योंकि ये हर वर्ष मेड को हटा देते हैं और जबरन प्रार्थी के खेत में घुसकर नई डोल लगा देते हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर तहसीलदार दौसा को आदेश फरमावें कि वह आराजी खसरा नम्बर 268 रकबा 1.00 है. वाके ग्राम दौसा खुर्द तहसील दौसा का मौके पर मय राजस्व टीम गठित कर जरिये पुलिस इमदाद दिनांक 03.11.2021 को किये गये सीमाज्ञान अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी कर [illegible] कायम फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand
Luniya
Date: 2025.10.08 17:43:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेद सिंह गुर्जर ने पावर पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 ने जवाब पेश कर कथन किया कि प्रकरण में समस्त पड़ौसी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। मिन उत्तरदाता एवं प्रार्थी के मध्य कभी भी सीमा विवाद नहीं हुआ है। प्रार्थी की भूमि का मौके पर वैधानिक रूप से सीमाज्ञान नहीं हुआ है। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा दौराने सैटलमेन्ट बिना कोई अधिकार के मिन उत्तरदाता की भूमि का 0.05 है.

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

रकबा कम कर प्रार्थी की भूमि में मिला दिया गया है। सैटलमेन्ट विभाग की उक्त अनधिकृत कार्यवाही को दुरुस्त करवाने हेतु मिन उत्तरदाता द्वारा मा॰ न्यायालय के समक्ष एक वाद दुरुस्ती इन्द्राज मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर रखा है जो कि विचाराधीन है जिसमें अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी है। प्रार्थी उक्त तथ्यों को छिपाकर येनकेन प्रकारेण पत्थरगढी के आदेश करवाकर मिन उत्तरदाता की भूमि को हडपना चाहता है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रकरण में तहसीलदार दौसा ने जवाब पेश कर कथन किया कि ग्राम दौसा खुर्द स्थित खसरा नम्बर 268 रकबा 1.00 है॰ भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान करा दिया गया है। उक्त भूमि पर मुताबिक रिकॉर्ड किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। पडौसी खातेदारों को सुना जाकर पत्थरगढी आदेश किया जाना उचित है।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहता है। मुताबिक जवाब तहसीलदार दौसा प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने की पुष्टि होती है। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 ने अपने जवाब में आपत्ति जतायी है कि प्रकरण में समस्त पडौसी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस संबंध में प्रार्थी का कथन है कि प्रकरण में जिन पडौसी खातेदारों से सीमा विवाद है, उन्हें अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 ने अपने जवाब में आपत्ति जतायी है कि प्रार्थी की भूमि का मौके पर वैधानिक रूप से सीमाज्ञान नहीं हुआ है। इस संबंध में तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में अंकित किया है कि उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान करा दिया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 ने अपने जवाब में आपत्ति जतायी है कि सैटलमेन्ट विभाग द्वारा दौराने सैटलमेन्ट बिना कोई अधिकार के मिन उत्तरदाता की भूमि का 0.05 है॰ रकबा कम कर प्रार्थी की भूमि में मिला दिया गया है। सैटलमेन्ट विभाग की उक्त अनधिकृत कार्यवाही को दुरुस्त करवाने हेतु मिन उत्तरदाता द्वारा मा॰ न्यायालय के समक्ष एक वाद दुरुस्ती इन्द्राज मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर रखा है जो कि विचाराधीन है जिसमें अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी है। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 ने अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। निष्कर्षतः प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने, प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान होने एवं प्रश्नगत आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होने के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम दौसा खुर्द तहसील दौसा स्थित भूमि खसरा नम्बर 268 रकबा 1.00 है॰ का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थी की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस इमदाद की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:43:46 IST
Reason: SelfAttested

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा